

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH  
AT NEW DELHI

EXECUTION. APPLICATION No.38 of 2025  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO. 418 OF 2023

IN THE MATTER OF:-  
NIRMAL KUMAR TRIPATHI

..... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.... RESPONDENTS

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply/ Response Affidavit on behalf of Respondent No.2/ U.P. Pollution Control Board.	1-7
3	<u>ANNEXURE-1</u> True copy of the Insprction Report.Dated 30.07.2025	7-19

NEW DELHI:  
DATED: 06.08.2025



**(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)**

Counsel for the Respondent UPPCB

138 New Lawyers' Chambebr,

Supreme Court of India

(M): 9810252518

New Delhi – 110001

Email ID: [pradeepmisra@yahoo.com](mailto:pradeepmisra@yahoo.com)



Government of Uttar Pradesh

IN-UP74279144097094X

e-Stamp

ACC Name- MOHIT JAISWAL  
ACC Code-UP14842604  
ACC Address-Civil Court Gorakhpur  
Licence No -196, Mob -915620598  
Tehsil & District Sadar Gorakhpur  
Signature Mohit

Certificate No. : IN-UP74279144097094X  
 Certificate Issued Date : 04-Aug-2025 05:15 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14842604/ GORAKHPUR SADAR/ UP-GRK  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1484260446171740533410X  
 Purchased by : ASHUTOSH CHAUHAN S O LATE RATAN SINGH CHAUHAN  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : ASHUTOSH CHAUHAN S O LATE RATAN SINGH CHAUHAN  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : ASHUTOSH CHAUHAN S O LATE RATAN SINGH CHAUHAN  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)



Please write or type below this line



Girjesh Kumar Gupta  
NOTARY

Aug 2025 05:15 PM IN-UP74279144097094X ACC-UP14842604 SUBIN-UPUP1484260446171740533410X PUR-ASHUTOSH CHAUHAN S O LATE RATAN SINGH CHAUHAN DESCRIPTION-ARTICLE 4 AFFIDAVIT PROPERTY-NOT APPLICABLE PRICE-0 FIRST PARTY-ASHUTOSH CHAUHAN S O LATE RATAN SINGH CHAUHAN SECOND PARTY-NOT APPLICABLE STAMP DUTY PAID BY-ASHUTOSH CHAUHAN S O LATE RATAN SINGH CHAUHAN STAMP DUTY AMOUNT-10

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 38/2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 418 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Nirmal Kumar Tripathi

...Applicant


Versus

State of U. P.& Ors.

...Respondents

RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-6  
AND 7, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Ashutosh Chauhan, S/o Late Mr. Ratan Singh Chauhan, aged about 45 years, presently posted as the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB) at Gorakhpur, U.P. do hereby solemnly affirm and state on oath as under:



1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That by a letter petition the Applicant has raised a demand against environmental pollution by Jal Nigam in the course of digging of a drain by the side of Deoria – Kheera Ram

*Nirmal Kumar Tripathi*  
NOTARY

*Ashutosh Chauhan*

Road. The said letter petition was registered as O.A. No. 418 of 2023.

3. That this Hon'ble Tribunal has issued notice and after considering the response and reports submitted by various parties has disposed of the said O.A No. 418 of 2023 with the following directions:

21. Keeping in view the ground realities and to ensure prevention and control of water logging problem in municipal limit of Deoria the following directions are given for strict compliance:

- i) The excavated soil need to be stored on a designated place to avoid its spread on road and prevent dust pollution.
- ii) The water tankers should be in place for spraying water on the affected areas to prevent dust from being airborne.
- iii) Steel sheet/netlon should be used on both sides of drain during soil excavation to prevent spread of dust in the area.
- iv) The compensatory afforestation in lieu of 58 road side trees permitted for removal/denudation by Forest Department should be undertaken by DFO, Deoria with the amount of Rs. 10.47 lakh already allocated for the purpose. The compensatory afforestation with native species need to be done



Girijesh Kumar Gupta  
NOTARY  
GORAKHPUR

with the objective to develop a small biodiversity park at appropriate location in the area.

- v) The plantation on both the banks of the storm water drain should be carried out by suitable grasses, shrubs and native trees including bamboo for the protection of banks from erosion and enhancing aesthetic/scenic value of the drain. The DFO, Deoria is made nodal officer for this task and U.P State Jal Nigam is directed to provide necessary funds to DFO, Deoria for this purpose within one month of the demand raised by him.
- vi) There should be foolproof mechanism to prevent mixing of municipal sewage into the storm water. The Regional Officer, Gorakhpur and Executive Officer, Municipal Council, Deoria are directed to ensure regular monitoring in this regard.

4. That the Applicant has filed Execution Application No. 58 of 2025 alleging non-compliance of the directions issued by this Hon'ble Court. The said Execution Application came up for hearing on 29.05.2025 when this Hon'ble Tribunal has issued notice to Respondents to file compliance report.

5. That in compliance of the said order the present response/compliance report is being filed.

6. That Regional Office, U.P. Pollution Control Board has undertaken the inspection of the site in question on



Girijesh Kumar Gumber  
NOTARY

30.07.2025 in the presence of Junior Engineer, Jal Nigam, Deoria, Forest Inspector, Forest Department, Deoria wherein it has been found that there is no loose earth from Kurna Nala to Kartari Mor where drain has been completed. From Kartari Mor to Hanuman Mandir, Jal Nigam is doing construction of drain wherein both the sides of the drain green net has been used. Divisional Director, Social Forestry Division, Deoria vide letter dated 29.07.2025 has informed that 1 hectare land out of 4.3260 hectares land of Khasra No. 1206Gha, Village Nautan, Hathiyagarh, Tappa Nagwa, Pargana Shahjahanpur, Tehsil and District Deoria is to be transferred to Forest Department and after the transfer the plantation would be made.

7. That the Executive Officer, Nagar Palika Parishad has informed that storm water drainage of urban area from Kurna Nala to Katrari Mor has not been transferred to the Nagar Palika Parishad, Deoria as the said Nala is under construction from Kartari Mor to Hanuman Mandir. No sewage is being discharged in the said Nala. There is a fecal sludge treatment plant of 32 KLD which is in operation from 2023-24. After completion of RCC drain. The small drains will be connected to this drain and after doing bio remediation and phyto remediation, the water will be discharged in Kurna Nala. A true copy of the said inspection report dated 30.07.2025 is being annexed herewith and marked as Annexure-1.



Girijesh Kumar Gupta  
NOTARY  
GOVT. OF UTTAR PRADESH

*[Handwritten signature]*

8. That it is pertinent to mention here that this Hon'ble Tribunal vide order dated 09.04.2024 in O.A. No. 418 of 2023 in Para 21(iv) has directed the UPPCB to ensure regular monitoring in regard to the foolproof mechanism to prevent mixing of municipal sewage into the storm water. In this regard it is submitted that:

- The Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Deoria vide its letter has informed to this Hon'ble Tribunal in pursuance to the direction passed in Original Application No. 418 of 2023 that the city storm water drainage from Kurna Nala to Katrari Turn has not yet been transferred to the Nagar Palika Parishad, Deoria and the said Drain is under construction from Katrari Turn to Hanuman Temple.
- The Nagar Palika Parishad, Deoria is not discharging any domestic sewerage into the said Drain constructed by Jal Nigam from Kurna Nala to Katrari Turn. Nearly about 125 buildings found constructed on the southern track from Kurna Nala to Katrari Turn. Toilets are found installed and operated in the said buildings.
- Under Bharat Swachh Mission total 2021 Swachh toilets have been constructed and Nagar Palika, Deoria has been saturated with Swachh toilets.
- Nagar Palika Parishad, Deoria has installed F.S.T.P. having 32 KLD capacity for fecal sludge treatment, which is operational from year 2023-24.
- After completion of the construction work of R.C.C. Storm Water Drain under construction in Nagar Palika



Girijesh Kumar Gupta  
NOTARY  
UTTAR PRADESH

*[Handwritten Signature]*

Parishad, Deoria, the drains flowing in Nagar Palika Parishad, Deoria will be connected to the Drain in question. Before falling into the final point i.e. Kurna Nala, the Nagar Palika will treat the drain water by Bio-remediation and Phyto-remediation.


- 9. That the above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

  
 DEPONENT

**VERIFICATION:**

Verified at Gorakhpur on this the 4...day of August, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

  
 DEPONENT



1786/25  
 Ashutosh Chandra  
 04/8/25  
 A.K. Gupta  
 4/8/25  
 RN.U.P.2989/88  
 Girish Kumar Gupta  
 NOTARY  
 GORAKHPUR

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 418/2023 (आई0ए0 सं0- 71/2024) निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण आख्या।

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 418/2023 (आई0ए0 सं0- 71/2024) निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त स्थल का स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री राम कुमार चौधरी, अवर अभियन्ता, जल निगम, देवरिया एवं श्री शिवम यादव, वन दरोगा, वन विभाग, देवरिया के साथ दिनांक 30.07.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1. मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित योजित ओ0ए0 सं0 418/2023 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 के अनुपालन में संदर्भित शिकायत श्री निर्मल कुमार त्रिपाठी द्वारा जनपद देवरिया के नगरी क्षेत्र कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक (2200 मीटर) निर्माणाधीन नाले के संदर्भ में किया गया था। उक्त नाले का निर्माण उ0प्र0 राज्य सरकार की राज्य सेक्टर सिवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, देवरिया हेतु स्टार्म वाटर ड्रेनेज निर्माण हेतु क्षेत्र में जल भराव के समस्या के निदान हेतु किया गया है।
2. निरीक्षण के समय कतरारी मोड़ से कुर्ना नाले तक (2200 मीटर) नाले का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
3. मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 418/2023 (आई0ए0 सं0- 71/2024) निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 में उल्लिखित बिन्दु सं0 21 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन हेतु उल्लिखित उप-बिन्दुओं एवं दिनांक 30.07.2025 को किये गये निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 09.04.2024 में दिये गये निर्देशों बिन्दुवार विवरण	दिनांक 30.07.2025 को निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों का विवरण
21 (i)	नाला निर्माण के समय खोदी गयी मिट्टी को सड़क पर फैलने एवं धूल प्रदूषण को रोकने हेतु उक्त खोदी हुई मिट्टी को निर्दिष्ट स्थान पर पर एकत्रित किया जाना चाहिए, जिससे निर्माण कार्य स्थल पर वायु प्रदूषण जैसी समस्या न उत्पन्न हो सके।	निरीक्षण के समय कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक नाले का निर्माण कार्य जल निगम, देवरिया द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। निरीक्षण के समय कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक सड़क के दोनो तरफ किसी भी जगह मिट्टी एकत्रित किया हुआ नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्नक-01 के रूप में संलग्न है।
21 (ii)	प्रभावित क्षेत्र में धूल के कड़ को हवा में फैलने से रोकने हेतु छिड़काव करने के लिए पानी के टैंकर मौजूद होने चाहिए तथा प्रभावित क्षेत्र में जल का छिड़काव किया जाना चाहिए।	निरीक्षण के समय कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक नाले का निर्माण कार्य जल निगम, देवरिया द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। निरीक्षण के समय वर्षा सीजन होने के कारण धूल उत्सर्जन की समस्या विद्यमान नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्नक-02 के रूप में संलग्न है।
21 (iii)	निर्माण क्षेत्र में धूल के फैलाव को रोकने के लिए मिट्टी की खुदाई के दौरान नाले के दोनो तरफ स्टील शीट/ग्रीन नेट का उपयोग किया जाना चाहिए।	निरीक्षण के समय कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक नाले का निर्माण कार्य जल निगम, देवरिया द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, जिससे उक्त स्थल पर मिट्टी की खुदाई का कार्य किया जाता हुआ नहीं पाया गया परन्तु कतरारी मोड़ से आगे हनुमान मन्दिर की तरफ जल निगम, देवरिया द्वारा नाले का निर्माण कार्य कराया जाता हुआ पाया गया। उक्त निर्माण कार्य स्थल पर जल निगम, देवरिया द्वारा नाले के दोनो तरफ ग्रीन नेट का उपयोग किया जाता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्नक-03 के रूप में संलग्न है।
21 (iv)	वन विभाग द्वारा सड़क के किनारे 58 पेड़ों के हटाने/काटने की अनुमति दिये जाने बदले में प्रतिपूर्वक वन रोपण हेतु जिला वनाधिकारी, देवरिया द्वारा किये जाना चाहिए, जिसके लिए पूर्व से ही 10.47 लाख रुपये आवंटित है। प्रतिपूर्वक वन रोपण देशी प्रजातियों के साथ किया जाना चाहिए, जिससे क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर एक छोटा सा जैव विधिता पार्क विकसित किया जा सके।	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकीय प्रभाग, देवरिया के पत्र दिनांक 29.07.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जल निगम, देवरिया द्वारा कुर्ना नाला निर्माण में बाधक 58 वृक्षों के पातन की क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु 10.47 लाख की धनराशि वन विभाग को जमा करा दिया गया है। वन विभाग द्वारा ग्राम- नौतन हथियागढ़, तप्पा-नगवा, परगना- शाहजहांपुर, तहसील व जनपद- देवरिया में स्थित आराजी सं0 1206घ, रकबा 4.3260 हे0, जो राज्य अभिलेख में बंजर खाते में दर्ज है में से 1.0 हे0 भूमि छोटा जैव विविधता पार्क हेतु उपयुक्त पाया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त जल निगम, देवरिया से कुर्ना नाला निर्माण कार्य में बाधक 58 वृक्षों के


58

		<p>68 की क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10.47 लाख की धनराशि को गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से डी0सी0एल0 प्राप्त कर 45 दिन के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार देशी प्रजातियों के साथ प्रतिपूरक वृक्षारोपण कर एक छोटा जैव विविधता पार्क विकसित करने की कार्यवाही पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकीय प्रभाग, देवरिया के पत्र दिनांक 29.07.2025 संलग्नक- 04 के रूप में संलग्न है।</p>
21 (v)	<p>नाले के दोनो किनारो पर उपयुक्त घास, झाड़िया एवं देशी पेड़ लगाये जाने चाहिए। नाले के किनारे के कटाव को बचाने के लिए बांस के पौधे भी लगाया जाना चाहिए। नाले के सौन्दर्य एवं दृश्यात्मक मूल्य में वृद्धि हेतु प्रभागीय वनाधिकारी जनपद देवरिया को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है एवं उ0प्र0 राज्य जल निगम को निर्देश दिया गया है कि वह प्रभागीय वनाधिकारी, देवरिया को आवश्यक धनराशि एक माह के भीतर उपलब्ध कराये।</p>	<p>निरीक्षण के समय कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक नाले का निर्माण कार्य जल निगम, देवरिया द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। वर्षा सीजन होने के कारण नाले के दोनो तरफ प्राकृतिक घास स्वतः उपजा हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्नक-05 के रूप में संलग्न है। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकीय प्रभाग, देवरिया के पत्र दिनांक 29.07.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कुर्ना नाला के दोनो किनारो के बन्धो पर घास एवं पेड़ लगाये जाने हेतु क्षेत्रीय वनाधिकारी देवरिया के प्रतिनिधि श्री सुभाष चन्द्र यादव, वन दरोगा एवं जल निगम के प्रतिनिधि श्री राम कोमल चौधरी, अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 20.07.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त नाले के बन्धो पर कुल 500 देशी पौधे तथा पौधे के बीच-बीच में शोभाकार फूल, पत्ती/घास लगाया जा सकता है। उक्त पौधारोपण का आंकलन प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है। आंकलन की धनराशि जल निगम से प्राप्त होने के उपरान्त उक्त स्थल पर पौधारोपण/घास/बांस लगाये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही 30 दिन के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जायेगी। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकीय प्रभाग, देवरिया के पत्र दिनांक 29.07.2025 संलग्नक- 04 के रूप में संलग्न है।</p>
21 (vi)	<p>नगर पालिका परिषद, देवरिया से जनित म्यूनिशिपल सीवेज तथा स्टार्म वाटर को एक साथ मिलने से रोके जाने हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया को निर्देश दिया गया है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर को इस सम्बन्ध में नियमित निगरानी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।</p>	<p>अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा अपने पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 418/2023 में पारित आदेश के संदर्भ में मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराया है कि नगरीय क्षेत्र कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक स्टार्म वाटर ड्रेनेज अभी तक नगर पालिका परिषद, देवरिया को हस्तान्तरित नहीं किया गया तथा उक्त नाला कतरारी मोड़ से हनुमान मन्दिर तक निर्माणाधीन है। जल निगम नगरीय द्वारा निर्मित उक्त वाटर ड्रेनेज कतरारी मोड़ से कुर्ना नाला में नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा किसी आवास का सीवरेज प्रवाहित नहीं किया जा रहा है। कतरारी चौरहा से कुर्ना नाला के दक्षिणी पटरी पर लगभग 125 भवन निर्मित है। उक्त भवनों के अन्तर्गत शौचालय स्थापित एवं संचालित है। नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा फिकल स्लज ट्रीटमेन्ट हेतु 32 के0एल0डी0 क्षमता का एफ0एस0टी0पी0 स्थापित किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से क्रियाशील है। नगर पालिका परिषद, देवरिया में निर्माणाधीन आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इस नाले में नगर पालिका परिषद, देवरिया में बहने वाले नालियों को जोड़कर उक्त नाले के अन्तिम बिन्दु (कुर्ना नाला) में गिरने के पूर्व नगर पालिका द्वारा नाले के जल के शोधन हेतु बायो-रेमिडिएशन तथा फाईटो-रेमिडिएशन करते हुए नाले के पानी को स्वच्छ कर कुर्ना नाले में निस्तारित किया जायेगा। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा अपने पत्र संलग्नक-06 के रूप में संलग्न है।</p>

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*(Handwritten Signature)*  
30/07/2025  
(राम मिलन वर्मा)  
वैज्ञानिक सहायक

Annexure- 01



Annexure- 02



Annexure- 03



कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया  
पत्रांक 220 / 2-6 दिनांक, देवरिया, जुलाई 29 / 2025  
सेवा में,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता,  
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण  
नई दिल्ली ।

**विषय :-** मा0 मुख्य मंत्री जी उ0प्र0 के घोषणा के क्रम में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद देवरिया हेतु स्वीकृत आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेनेज के निर्माण में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 09.04.2024 के क्रम में बायोडार्वसिटी पार्क / जैव विविधता पार्क एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ :-** मा0 एन0जी0टी0 का आदेश दिनांक 09.04.2025 एवं पत्र दिनांक 03.07.2025 महोदय


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दु संख्या-04 व 05 है उक्त विषयक ड्रेनेज निर्माण में पारित मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 09.04.2024 एवं वाद पत्र दिनांक 03.07.2025 के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद-देवरिया में छोटा (Small) बायोडार्वसिटी पार्क / जैव विविधता पार्क बनाने हेतु इस कार्यालय का पत्रांक-2581 / 2-6 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय) भुजौली कालोनी, देवरिया को भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है (संलग्नक-1)। ग्राम-नौतन, हथियागढ़ का राजस्व विभाग एवं वन विभाग की टीम द्वारा दिनांक 18.07.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया (संलग्नक-2)। ग्राम-नौतन हथियागढ़ तप्पा-नगवा, परगना- शाहजहाँपुर तहसील व जिला-देवरिया में स्थित आराजी संख्या-1206घ रकबा 4.3260 हे0 जो राजस्व अभिलेख में बंजर खाते में दर्ज है में से 1.00 हे0 भूमि छोटा (Small) बायोडार्वसिटी पार्क / जैव विविधता पार्क बनाने हेतु उपयुक्त पाया गया है (संलग्नक-3)। शेष भाग में छोटी गण्डक नदी का बहाव एवं जमीन ऊची-नीची (उबड़ खाबड़) है उक्त भूमि को छोटा (Small) बायोडार्वसिटी पार्क / जैव विविधता पार्क बनाने हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद कर वन विभाग को भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी देवरिया, को प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-190 / 2-6 दिनांक 24.07.2025 द्वारा उप जिलाधिकारी, देवरिया, को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी, देवरिया, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देवरिया, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया, अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम को पृष्ठांकित है (संलग्नक-4)। भूमि के हस्तान्तरण / नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त जल निगम देवरिया से कुर्ना नाला निर्माण में बाधक 58 वृक्षों के पातन की क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10.47 लाख की धनराशि जमा है। जिसका प्राक्कलन तैयार कर मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर से वन जमा में जमा धनराशि-10.47 लाख डी0सी0एल0 प्राप्त कर 45 दिन के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार देशी प्रजातियों के साथ प्रतिपूरक वनरोपण कर एक छोटा (Small) बायोडार्वसिटी पार्क / जैव विविधता पार्क को विकसित करने की कार्यवाही पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः साथ ही कुर्ना नाला के दोनो किनारे के बन्धों पर घास लगाने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, देवरिया के प्रतिनिधि श्री सुभाष चन्द यादव, वन दरोगा एवं जल निगम के प्रतिनिधि श्री रामकोमल चौधरी जूनियर इन्जीनियर द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 20.07.2025 को किया गया है (संलग्नक-5)। संयुक्त निरीक्षण में यह दर्शाया गया है कि नाले के बन्धों पर 1500 मीटर में 3 x 3 की दूरी पर कुल-500 देशी पौधे तथा पौधों के बीच-बीच में शौभाकार

-2-

कार्यवाही की जा रही है। आगणन की धनराशि जल निगम से प्राप्त होने के उपरान्त उक्त स्थल पर पौध रोपण/घास/बांस लगाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही 30 दिन के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।

भवदीय



(कासरला राजू)


प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 220 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-जिलाधिकारी, महोदया, देवरिया ।
- 2-अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, देवरिया ।
- 3-अधिसासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, भुजौली कालोनी, देवरिया ।
- 4-अधिसासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देवरिया ।
- 5-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कुड़ाघाट गोरखपुर ।



(कासरला राजू)

प्रभागीय निदेशक


सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

Annexure- 05



Latitude: 26.500537  
Longitude: 83.743613  
Elevation: 84.7±2.5 m  
Accuracy: 3.79 m  
Time: 30-07-2025 14:44  
Note: Kurna nala deoria

Powered by NoteCam



Latitude: 26.498044  
Longitude: 83.751279  
Elevation: 75.93±16.6 m  
Accuracy: 8.757 m  
Time: 30-07-2025 14:50  
Note: Kurna nala deoria

Powered by NoteCam

संलग्नक-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली

Execution Application No. 38/2025

संबन्धित O.A. No. 418/2023 निर्मल कुमार त्रिपाठी प्रति उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य।

O.A. No. 418/2023 श्री निर्मल कुमार त्रिपाठी प्रति उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 का अनुपालन न किये जाने का कथन करते हुए याची द्वारा वर्तमान निष्पादन प्रार्थना पत्र सं0 38/2025 प्रस्तुत किया गया है।

1- याची द्वारा E.A. उपरोक्त के प्रस्तर-(ii) में यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं0 2 एवं 7 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 के निर्देश सं0 (vi) में दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है।

2- यह कि प्रत्यर्थी सं0-2 के रूप में आवेदक अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, देवरिया द्वारा वर्तमान E.A. (Execution Application) सं0 38/2025 में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 "To file their compliance reports", के संदर्भ में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A. संख्या 418/2023 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 में दिए गए निर्देश (vi)-" There should be foolproof mechanism to prevent mixing of municipal sewage into the storm water, The Regional Officer, Gorkhpur and Executive Officer, Municipality Council Deoria are directed to ensure regular monitoring in this regard." के अनुपालन में प्रत्यर्थी संख्या-02 द्वारा प्रस्तुत तथ्य-


- (i) नगरीय क्षेत्र कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक स्टार्म वाटर ड्रेनेज अभी तक नगर पालिका परिषद, देवरिया में अनुरक्षण हेतु हस्तान्तरित नहीं किया गया है। उक्त नाला कतरारी मोड़ से हनुमान मन्दिर तक निर्माणाधीन है।
- (ii) जल निगम नगरीय द्वारा निर्गत उपरोक्त वाटर ड्रेनेज कतरारी मोड़ से कुर्ना नाला में नगर पालिका द्वारा किसी आवास का सीवरेज प्रवाहित नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में यह उल्लेख सुसंगत है कि नगर पालिका सीमान्तर्गत समस्त वार्डों को स्वच्छ भारत मिशन से आच्छादित करते हुए विभिन्न घरों में कुल 2021 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराये जाने से नगर पालिका देवरिया स्वच्छ शौचालय से संतुप्त हो चुकी है। सुलभ अवलोकन हेतु शौचालय निर्माण की सूची छायाप्रति संलग्नक-01 के रूप में प्रस्तुत है।
- (iii) कतरारी चौराहा से कुर्ना नाला के दक्षिणी पटरी पर लगभग 125 भवन निर्मित है, जिनमें भवन के अन्दर शौचालय निर्मित है।
- (iv) प्रत्येक घर में स्वच्छ शौचालय होने के फलस्वरूप नगर पालिका के प्रत्येक नालियों में मात्र रसोई घर व स्नान घर के जल प्रवाहित होते हैं न कि सीवरेज का जल।
- (v) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 के अनुपालन में आवेदक-अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया, मा0 अधिकरण को आश्वस्त

*hett*

करता है कि जल निगम नगरीय द्वारा निर्माणाधीन आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेन पूर्ण होने के उपरांत नगर पालिका परिषद देवरिया को अनुरक्षण हेतु हस्तान्तरित किये जाने की दशा में गतिशील नालियों को आवश्यकतानुसार जोड़ते हुए मुख्य नाले में मिला दिया जाएगा।

- (vi) यह कि यद्यपि नगर पालिका परिषद, देवरिया की सीमा में सीवरेज का पानी खुले आम नाली में नहीं गिरता है, किन्तु नगर पालिका परिषद, देवरिया में 32 KLD का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) हूबर सॉलिड लिक्विड सेप्रेशन विद कंस्ट्रक्शन वेटलैण्ड तकनीकी वर्ष 2023-24 में पूर्ण करते हुए क्रियाशील कर दिया गया। उक्त प्लांट वार्ड नं0 17 नगर पालिका परिषद देवरिया में विद्यमान/क्रियाशील है। तथा नगर पालिका परिषद, देवरिया स्थित शौचालयों के फीकल स्लज का निस्तारण इस प्लांट के माध्यम से किया जाता है। सुलभ अवलोकन हेतु ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) के फोटोग्राफ्स संलग्नक-02 के रूप में प्रस्तुत है।
- (vii) यह कि नगर पालिका परिषद, देवरिया में निर्माणाधीन आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत इस नाले में नगर पालिका परिषद देवरिया में बहने वाले नालियों को जोड़कर उक्त नाले के end Point (कुर्ना नाला) में गिरने के पूर्व नगर पालिका द्वारा नाले के जल के शोधन हेतु बायो रेमेडिएशन तथा फाइटो रेमेडिएशन करते हुए नाले के पानी को स्वच्छ कर लिया जायेगा जिससे कुर्ना नाले में गिरने वाले उक्त नाले का पानी कुर्ना में गिरने के पूर्व ही शोधित एवं स्वच्छ हो जाए।
- (viii) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 में दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा उक्त नाले से गिरने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निरन्तर पर्यवेक्षण किया जायेगा।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 फलस्वरूप Execution Application No.- 38/2025 को इस स्तर पर ही निस्तारित किये जाने हेतु आदेश पारित किया जाए।

प्रत्यर्थी सं0-2  
  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगर पालिका परिषद,  
 देवरिया।



*Signature*  
E.O.



*Sanjay Thoo*  
C.O.